

**मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर**

छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक सूचना

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सत्र 2026-27 में बी.टेक, बी.फार्मा, बी.बी.ए., एम.सी.ए, एम.बी.ए, एम.एस.सी., एम.फार्मा तथा एम.टेक. के समस्त अध्ययनरत सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय समस्त श्रोतों से 2,00,000=00 से कम है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय समस्त श्रोतों से 2,50,000=00 से कम है, वे छात्र/छात्राएं समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं, एवं निम्नलिखित आवश्यक छात्रवृत्ति नियमावली पर अपना ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें:-

1. छात्रवृत्ति हेतु आवेदन scholarship.up.gov.in पर करें।
2. छात्रवृत्ति हेतु समस्त छात्र छात्राओं को One Time Registration करना अनिवार्य है।
3. अपने पिता के नाम का वना आय प्रमाण पत्र ही संलग्न करना अनिवार्य है, पिता के ना रहने की स्थिति में माता के नाम का आय प्रमाण पत्र तथा पिता एवं माता के ना रहने पर विधिक अभिभावक का आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
4. सत्र 2026-27 में प्रथम बार आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा अपना डिजीलाकर एकाउन्ट बना कर अपने समस्त डाक्यूमेंट डिजीलाकर में अपडेट करने के उपरान्त ही आवेदन करेंगे।
5. आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगे, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय प्रमाण पत्र क्रमांक तथा हाईस्कूल/इंटरमिडिएट के रोल नं0 में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आवेदन पत्र स्वयं जांच करने एवं सही करने के उपरान्त ही शिक्षण संस्था में सबमिट करने हेतु फाइनल प्रिन्ट निकालें।
6. छात्र/छात्रा को आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रवृष्टियों को भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक, अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल फीस (Non Refundable And Tution Fees) मोबाइल नं0, वर्तमान विश्वविद्यालय/वोर्ड का नाम, अपना पंजियन क्रमांक (ENROLMENT NUMBER) आधार नं0, वचत बैंक खाता संख्या तथा आई.एफ.एस.सी. कोड आदि भरना होगा। पात्र छात्र/छात्रा आवेदन पत्र में पिछली परीक्षा का परीक्षाफल/प्राप्तांक को सही भरें क्योंकि अंको का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जाएगा।
7. छात्र/छात्रा मोबाइल नं0 एवं ई-मेल आईडी स्वयं की ही भरें।
8. छात्र/छात्रा को आवेदन पत्र भरते समय विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पंजीकरण क्रमांक (ENROLMENT NUMBER) को भरना अनिवार्य है।
9. छात्र/छात्राओं (Fresh Students) ने आवेदन पत्र भरते समय जिस कोर्स में प्रवेश लिया है, उसी कोर्स का चयन करें।
10. **Fee Waiver** छात्र/छात्रा केवल छात्रवृत्ति हेतु ही आवेदन कर सकते हैं (ऐसे छात्र/छात्रा जिन्हें पहले से ही Tution Fee माफ है वे शुल्कप्रतिपूर्ति हेतु आवेदन नहीं कर सकते हैं)। ऐसे छात्र अपने आवेदन पत्र में अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क के स्थान पर रू0 1.00 ही भरेंगे। अन्यथा आपका आवेदन पत्र विश्वविद्यालय स्तर पर ही निरस्त कर दिया जाएगा।
11. अन्य विस्तृत जानकारी हेतु scholarship.up.gov.in पर सर्च करें।
12. छात्र/छात्रा अपने आधार कार्ड को अवश्यकतानुसार अपडेट कराना सुनिश्चित करें।

छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने एवं जमा करने संबंधी आवश्यक दिनांक

छात्र/छात्राओं (नवीनीकरण) Renewal द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	15 सितम्बर 2026 से 09 अक्टूबर 2026 तक अनवरत जारी रहेगा।
छात्र/छात्राओं (नवीन) New द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	15 सितम्बर 2026 से 16 अक्टूबर 2026 तक अनवरत जारी रहेगा।
छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय में जमा किया जाना।	09 अक्टूबर 2026 (नवीनीकरण वाले छात्र) एवं 16 अक्टूबर 2026 (नवीन छात्र) तक <u>छात्र/छात्रा अपने ब्राच के विभागीय नोडल समन्वयक के पास आवेदन पत्र की हार्डकॉपी समस्त संलग्नकों सहित जमा करना सुनिश्चित करें।</u>

19
12/08/26

छात्र/छात्रा अपने आवेदन पत्र के सभी दस्तावेजों का एक पी0डी0एफ0 बनाएं, पी0डी0एफ0 फाइल पर अपना नाम एवं छात्रवृत्ति का रजिस्ट्रेशन सं0 अंकित करें। (केवल स्वच्छ पी0डी0एफ0 ही मान्य है।) और आवेदन पत्र जमा करने के पहले निम्नलिखित मेल पर भेजना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की होगी।	Students should create a PDF of their application form and other documents, add their name and scholarship registration number to the PDF file (only clean PDF is accepted) and ensure to send it to the following email before submitting the application form. In case otherwise the application letter will not be forwarded. it will be the all responsibility of the student.
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग SC/ST/MINORITY	upscholarshipscstminority.mmmut@gmail.com
सामान्य वर्ग GENERAL	upscholarshipgeneralmmmut@gmail.com
अन्य पिछड़ा वर्ग केवल तृतीय वर्ष एवं चतुर्थ वर्ष हेतु। OBC only for IIIrd year and IVth year	upscholarshipobcmmmut@gmail.com
अन्य पिछड़ा वर्ग केवल प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष हेतु। OBC only for Ist year and IInd year	Upschobc1st2ndyear@gmail.com

आनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों का विवरण

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन आवेदन पत्र की कॉपी।
2. पिता के आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
3. पिता के न रहने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र तथा माता अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)
4. माता एवं पिता दोनों के न रहने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अन्य विधिक अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)
5. आय प्रमाण पत्र का online verification की छायाप्रति
6. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत), यदि लागू हो
7. जाति प्रमाण पत्र का Online verification की छायाप्रति, यदि लागू हो
8. पिछली समस्त शैक्षणिक योग्यताओं (जो भी लागू हो) के प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतियां
 - a. हाईस्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र छाया प्रति।
 - b. इंटरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र छाया प्रति।
 - c. डिप्लोमा अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र छाया प्रति।
 - d. बी.एस.सी. अंक पत्र (अंतिम वर्ष) की छाया प्रति।
 - e. बी.ए. अंक पत्र (अंतिम वर्ष) की छाया प्रति।
 - f. बी.टेक. अंक पत्र (अंतिम वर्ष) की छाया प्रति।
 - g. एम.टेक. अंक पत्र (अंतिम वर्ष) की छाया प्रति।
9. राष्ट्रीयकृत बैंक में छात्र/छात्रा द्वारा खोले गये खाते की पासबुक की छायाप्रति जिस पर छात्र का नाम, फोटो, खाता नं0 तथा आई0एफ0एस0सी0 कोड स्पष्ट अंकित हो (बैंक खाते का आधार सीडिंग तथा एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग अनिवार्य है)
10. आधार कार्ड की छाया प्रति
11. छात्र द्वारा जमा की गई शुल्क के रसीद की सत्यापित प्रति
12. Registration Slip की छात्र प्रति
13. छात्र का शपथ-पत्र (परिशिष्ट-ख, निर्धारित दर ₹0 100/- के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु)
14. छात्र का शपथ-पत्र (परिशिष्ट-ख, सामान्य/ओ0बी0सी0/अल्पसंख्यक नोटिस के साथ दिये गये प्रोफार्मा पर भरे)
15. माता/पिता का शपथ-पत्र (परिशिष्ट-घ)
16. संस्थाध्यक्ष एवं छात्र/छात्रा के मध्य शपथ पत्र (परिशिष्ट-च, सभी के लिए)
17. गैप का स्वप्रमाणित शपथ पत्र की छायाप्रति, यदि लागू हो (New Admission)
18. सामान्य, ओ0बी0सी0 तथा अल्पसंख्यक छात्रों के समस्त घोषणा पत्र नीचे दर्शाए गये प्रोफार्मा में भरकर जमा करना है

नोट: सभी जमा किये जाने वाले संलग्नक स्पष्ट, पठनीय एवं स्व-प्रमाणित होना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में आवेदन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

19
12/08/26

प्रमाण पत्रों के साथ विभिन्न परिशिष्टों यथा :- ख , घ एवं च स्पष्ट अक्षरों में भरकर प्रत्येक दशा में अंतिम रूप से दिनांक 09 अक्टूबर 2026 (नवीनीकरण वाले छात्र) एवं 16 अक्टूबर 2026 (नवीन छात्र) तक या उससे पहले तक छात्र/छात्रा अपने ब्रांच के विभागीय नोडल समन्वयक को अवश्य प्राप्त करा दें अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की स्वयं की होगी।

विभागीय नोडल समन्वयक

Departmental Nodal Co-Ordinator	Scholarship Forms of Respective Department to be Taken for Verification
Dr. Manish Kumar Srivastava	Computer Science and Engineering
Dr. R. K. Dwivedi	Information Technology & Computer Application (IT & MCA)
Dr. Awadhesh Kumar	Electrical Engineering
Dr. Anupam Sahu	Electronics and Communication Engineering (ECE & IoT)
Dr. Prashant Saini	Mechanical Engineering
Dr. Jyoti	Chemical Engineering
Dr. Gauri Shankar	Pharmacy Department
Dr. Suraj Kumar Singh	Physics & Material Science Department
Dr. Shubham Jaiswal	Chemistry & Environmental Science Department
Dr. Minto Kumar	Mathematics & Scientific Computing Department
Dr. Bijendra Kumar Pushkar	Management Studies
Sri Ramendra Pandey	Civil Engineering

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

नोडल अधिकारी
(छात्रवृत्ति)

पृ0सं0/मा0प्रौ0वि0/अधि0छा0मा0/छात्रवृत्ति/809/2026,

दिनांक: 12 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वै0 स0 कुलपति, मा0 कुलपति महोदया के सादर अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव।
3. अधिष्ठाता, स्नातक अध्ययन /अधिष्ठाता, परास्नातक अध्ययन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष को इस अनुरोध के साथ कि विभागीय नोडल समन्वयक को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
5. समस्त विभागीय नोडल समन्वयक, कृपया छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति फार्म जमा कर सत्यापनोपरान्त समयान्तर्गत छात्रवृत्ति कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु।
6. वेबमास्टर इस आशय से की विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

नोडल अधिकारी
(छात्रवृत्ति)

छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1-छात्र क्या करें:-

01	<u>छात्रवृत्ति हेतु Scholarship की साइट https://scholarship.up.gov.in पर आवेदन करें। सभी New Admisstion एवं Old Admisstion छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति हेतु समय से पहले आवेदन करना सुनिश्चित करें।</u>
02	<u>छात्र/छात्रा अपना आवेदन पत्र भरते समय अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क धनराशि तथा TUTION FEES,COURSE TYPE, Course Name, Duration(In Year), Affiliated Univ आदि को इस पत्र के अनुसार ही अनिवार्य रूप से अंकित करें।</u>
03	छात्रों को आनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंकपत्र/प्रमाण पत्र, जाति/आय प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थान में जमा की गयी शुल्क की रसीद, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक(ENROLLMENT NUMBER), आधार नम्बर, अभिलेख अपने पास एकत्रित कर लें।
04	सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि साइबर कैफे /संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जांच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन सबमिट करें। तदोपरान्त शिक्षण संस्थान में आवेदन पत्र जमा करने हेतु प्रिन्ट अवश्य प्राप्त करें।
05	आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगे, यदि आवेदन पत्र में जाति / आय प्रमाण-पत्र क्रमांक तथा हाईस्कूल/इंटरमीडिएट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट (Submit) करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें।
06	अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल फीस के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि अंकित करें।
07	आवेदन पत्र भरने के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व ही प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र भरना एवं सबमिट करना सुनिश्चित करें एवं हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित अपने विभाग में जमा करना सुनिश्चित कर लें।
08	आधार नम्बर जो कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर अंकित बैंक खाते में सीडेड हो, भरना अनिवार्य है। बैंक खाते का एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग अनिवार्य है। आधार नम्बर देने तथा उसकी सीडिंग बैंक खाते में कराने से KYC (Know your customer) पूर्ण हो जाती है। अपनी बैंक शाखा में KYC (Know your customer) फार्म भरकर अवश्य जमा कर दें। अपना बचत बैंक खाता संचालित रखें एवं उसमें निर्धारित न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें। <u>बैंक खाता Minor नहीं होना चाहिए, माइनर खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि Transfer नहीं हो पाती है।</u>
09	छात्रों को आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक, अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल (Non refundable) फीस Tution Fees, मोबाइल नं0, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक (ENROLLMENT NUMBER), आधार नम्बर, बचत बैंक खाता संख्या व IFSC कोड आदि भरना होगा। <u>पत्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के प्राप्तांक को सही भरें क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा।</u>
10	पाठ्यक्रम व उसके वर्ष का अंकन सही-सही ध्यानपूर्वक करें। छात्र/छात्रा विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अंकन अवश्य करें।
11	छात्र/छात्रा मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी स्वयं की ही दें।
12	नियमावली, समय-सारिणी एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु https://scholarship.up.gov.in पर सर्च करें।

2-छात्र क्या न करें:-

01	शिक्षण संस्था में जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे।
02	अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा-हाईस्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड किसी से भी साझा (Share) न करें।
03	आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें।
04	शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा।
05	छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र
(निर्धारित दर ₹0 100/- के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)
(अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु।)

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक को (1) कु0/श्रीमती/श्री को
..... आयु वर्ष पुत्री/पत्नी पुत्र श्री जाति
..... निवासी ग्राम/मु0 डाकखाना तहसील
..... जिला जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।
एवं

(2) (संस्थाध्यक्ष) पता
..... जनपद (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार
के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है। उसके मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि दशमोत्तर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति नियमवली 2012 में उल्लिखित है। उक्त नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते हैं :-

- 1- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2012 के अनुपालन में देगा।
- 2- प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाने पर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र पर समस्त बांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।
- 3- द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु बांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।
- 4- प्रथम पक्ष के आधार सीडेड बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 07 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।
- 5- प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।
- 6- प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।
- 7- उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2012 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष : हस्ताक्षर
नाम
पिता/पति का नाम
पता

द्वितीय पक्ष हस्ताक्षर
नाम
पिता/पति का नाम
पता

साक्षी संख्या प्रथम :-

हस्ताक्षर
नाम
पिता/पति का नाम
पता

साक्षी संख्या द्वितीय :-

हस्ताक्षर
नाम
पिता/पति का नाम
पता

छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र
(सामान्य वर्ग हेतु)

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक को (1) कु0/श्रीमती/श्री
..... आयु वर्ष पुत्री/पत्नी पुत्र श्री जाति
..... निवासी ग्राम/मु0 डाकखाना तहसील
..... जिला जिसे एतत्पश्चात छात्र/छात्रा कहा गया है, जिसमें
उसके उत्तराधिकारी प्रतिनिधि एवं निष्पादक सम्मिलित हैं (प्रथम पक्ष)।

(2) (संस्थाध्यक्ष) पता
..... जनपद (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार
के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है (जिसे एतत्पश्चात संस्था कहा गया है, जिसमें उसके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि एवं निष्पादक
सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया है।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि दशमोत्तर सामान्य वर्ग दिशा-निर्देश 2012 में उल्लिखित हैं। उक्त दिशा-निर्देश के आलोक में यह अनुबंध पत्र निम्नलिखित साक्षी है, जिसकी शर्तें निम्नवत् हैं, में छात्र/छात्रा को प्रथम पक्ष एवं संस्था को द्वितीय पक्ष अभिहित किया गया है :-

- 1- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षिक संस्थान में उत्तर प्रदेश दशमोत्तर सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक दिशा-निर्देश 2012 के अनुपालन में देगा।
- 2- प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाते ही निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र पर समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं संस्था द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी संबंधित छात्र को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद होगा।
- 3- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) आवेदन पत्र का नियमानुसार परीक्षण कराकर शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से, छात्र के आवेदन पत्र के अर्ह पाये जाने पर, स्वीकृति प्रदान करेगा। स्वीकृति उपरान्त द्वितीय पक्ष स्वीकृत आवेदन पत्र के विवरणों को समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित कराये गये एवं शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराये गये छात्रवृत्ति के साफ्टवेयर में डाटा इन्ट्री करेगा तथा उसकी हार्ड कापी डाटा का मिलान करेगा एवं त्रुटि संशोधन डाटा में आवश्यकतानुसार करेगा।
- 4- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष का छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक डाटा संबंधित शिक्षा विभाग के माध्यम से संबंधित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करेगा।
- 5- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रथम पक्ष के बैंक खाते में अनुरक्षण भत्ता की पूरी धनराशि एवं निर्धारित शुल्क प्रतिपूर्ति की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करेगा।
- 6- प्रथम पक्ष के बैंक खाते में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर विलम्बतम 15 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष के शुल्क काउण्टर पर जाकर शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी जमा धनराशि जमा करके प्रथम पक्ष से रसीद प्राप्त करेगा।
- 7- प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।
- 8- प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।
- 9- द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के सेमेस्टर अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा में प्रतिभाग करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराकर साफ्टवेयर में प्रविष्टि कराने में जिला समाज कल्याण अधिकारी का सहयोग करेगा।
- 10- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार प्रथम पक्ष के खाते में पुनः उसी वित्तीय वर्ष में जमा करेगा।

- 11- प्रथम पक्ष के खाते में अवशेष शुल्क प्रतिपूर्ति की द्वितीय किश्त जमा हो जाने के बाद 15 दिन के अंदर, द्वितीय पक्ष के संस्था के काउण्टर पर जाकर जमा करेगा एवं प्राप्ति रसीद लेगा।
- 12- छात्रवृत्ति संबंधी शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा यदि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्रों अस्वीकृत किया जाता है तो द्वितीय पक्ष इस संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेगा, जिसमें उन कारणा का उल्लेख होगा जिनके कारण आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जायेगा।
- 13- उत्तर प्रदेश दशमोत्तर सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक दिशा- निर्देश 2012 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की संस्था को देय समस्त शुल्क अपने स्वयं के साधनों से एक माह में जमा करेगा।

प्रथम पक्ष : हस्ताक्षर	द्वितीय पक्ष हस्ताक्षर
नाम	नाम
	व पदनाम
पिता/पति का नाम	पिता/पति का नाम
पता	पता

प्रथम पक्ष के दो गवाह :-	द्वितीय पक्ष के दो गवाह :-
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
व पदनाम	
पिता/पति का नाम	पिता/पति का नाम
पता	पता

**छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र
(अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प-संख्यक वर्ग हेतु)**

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक को (1) कु0/श्रीमती/श्री
..... आयु वर्ष पुत्री/पत्नी पुत्र श्री जाति
..... निवासी ग्राम/मु0 डाकखाना तहसील
..... जिला जिसे एतदपश्चात् छात्र/छात्रा कहा गया है, जिसमें
उसके उत्तराधिकारी प्रतिनिधि एवं निष्पादक सम्मिलित हैं (प्रथम पक्ष)।

(2) (संस्थाध्यक्ष) पता
..... जनपद (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार
के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है (जिसे एतदपश्चात् संस्था कहा गया है, जिसमें उसके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि एवं निष्पादक
सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया है।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि दशमोत्तर
अन्य पिछड़ा वर्ग दिशा-निर्देश 2012 में उल्लिखित है। उक्त दिशा-निर्देश के आलोक में यह अनुबंध पत्र निम्नलिखित साक्षी है, जिसकी शर्तें निम्नवत्
हैं, में छात्र/छात्रा को प्रथम पक्ष एवं संस्था को द्वितीय पक्ष अभिहित किया गया है :-

- 1- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षिक संस्थान में उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक दिशा-निर्देश 2012 के अनुपालन में देगा।
- 2- प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाते ही निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र पर समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं संस्था द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी संबंधित छात्र को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद होगा।
- 3- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) आवेदन पत्र का नियमानुसार परीक्षण कराकर शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से, छात्र के आवेदन पत्र के अर्ह पाये जाने पर, स्वीकृति प्रदान करायेगा। स्वीकृति उपरान्त द्वितीय पक्ष स्वीकृत आवेदन पत्र के विवरणों को समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित कराये गये एवं शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराये गये छात्रवृत्ति के साफ्टवेयर में डाटा इन्ट्री करायेगा तथा उसकी हार्ड कापी डाटा का मिलान करायेगा एवं त्रुटि संशोधन डाटा में आवश्यकतानुसार करायेगा।
- 4- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष का छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक डाटा संबंधित शिक्षा विभाग के माध्यम से संबंधित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करायेगा।
- 5- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रथम पक्ष के बैंक खाते में अनुरक्षण भत्ता की पूरी धनराशि एवं निर्धारित शुल्क प्रतिपूर्ति की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करेगा।
- 6- प्रथम पक्ष के बैंक खाते में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर विलम्बतम 15 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष के शुल्क काउण्टर पर जाकर शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी जमा धनराशि जमा करके प्रथम पक्ष से रसीद प्राप्त करेगा।
- 7- प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।
- 8- प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।
- 9- द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के सेमेस्टर अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा में प्रतिभाग करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराकर साफ्टवेयर में प्रविष्टि कराने में जिला समाज कल्याण अधिकारी का सहयोग करेगा।
- 10- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार प्रथम पक्ष के खाते में पुनः उसी वित्तीय वर्ष में जमा करेगा।

- 11- प्रथम पक्ष के खाते में अवशेष शुल्क प्रतिपूर्ति की द्वितीय किश्त जमा हो जाने के बाद 15 दिन के अंदर, द्वितीय पक्ष के संस्था के काउण्टर पर जाकर जमा करेगा एवं प्राप्ति रसीद लेगा।
- 12- छात्रवृत्ति संबंधी शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा यदि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्रों अस्वीकृत किया जाता है तो द्वितीय पक्ष इस संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेगा, जिसमें उन कारणों का उल्लेख होगा जिनके कारण आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जायेगा।
- 13- उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक दिशा- निर्देश 2012 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की संस्था को देय समस्त शुल्क अपने स्वयं के साधनों से एक माह में जमा करेगा।

प्रथम पक्ष :हस्ताक्षर

नाम

व पदनाम

पिता/पति का नाम

पता

द्वितीय पक्ष हस्ताक्षर

नाम

पिता/पति का नाम

पता

प्रथम पक्ष के दो गवाह :-

हस्ताक्षर

नाम

व पदनाम

पिता/पति का नाम

पता

द्वितीय पक्ष के दो गवाह :-

हस्ताक्षर

नाम

पिता/पति का नाम

पता

छात्र/छात्रा द्वारा देय शपथ पत्र (सभी के लिए)

समक्ष
संस्थाध्यक्ष

मैं पुत्र/पुत्री श्री जो ग्राम
..... मुहल्ला जनपद का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक
निम्नलिखित वयान करता हूँ :-

- 1- यह कि मैं ग्राम मुहल्ला तहसील जिला
..... उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
- 2- यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग/अन्य
पिछड़ा वर्ग/अल्प-संख्यक वर्ग (जो भी लागू हो) का हूँ।
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)
- 3- यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है।
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र/अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है)
- 4- यह कि सम्प्रति मैं शैक्षिक संस्थान के
..... पाठ्यक्रम में वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था
..... विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
- 5- यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध
करा दूँगा।
- 6- यह कि मैंने पिछली परीक्षा वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित
प्रस्तुत है। परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
- 7- यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है।
- 8- यह कि मेरा वचत खाता संख्या: बैंक
..... के शाखा में खुला हुआ है।
- 9- यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। (केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए लागू है।)
उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में हैं इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर
हमारी मदद करे।

दिनांक :

शपथी के हस्ताक्षर

नाम

पिता/पति का नाम

पता

छात्र/छात्रा के माता/पिता तथा अभिभावक द्वारा दिया जाने वाला घोषण-पत्र
(सभी दे लिये)

छात्र/छात्रा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शाई गयी आय समस्त श्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई और श्रोत नहीं है। यदि किसी प्रकार की जांच में दर्शायी गई आय गलत पायी जाती है तो इसके लिए हस्ताक्षरकर्ता पूर्णतया स्वयं जिम्मेदार होगा।

आय प्रमाण पत्र दाता का हस्ताक्षर

गैप का शपथ-पत्र (नवीन प्रवेशित छात्र/छात्रा हेतु)

समक्ष:-श्रीमान कुलपति महोदय,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

शपथ पत्र(स्वयं का नाम) पुत्र
.....(पिता का नाम) पता.....
.....का है। जो निम्न अनुसार है।

1.यह कि मेरा नाम एवं पिता का नाम सही है।

2.यह कि हम शपथकर्ता सत्रमें परीक्षा(कार्स का नाम) से
पास किया हूँ, एवं सत्र.....से तक कहीं प्रवेश नहीं लिया था, घर
में रह कर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था/रही थी।

शपथ पत्र का पैरा (1) एवं (2) सही एवं सत्य है।

हस्ताक्षर

()
शपथकर्ता

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर

छात्र/छात्रा अपना आवेदन पत्र भरते समय स्वयं से संबंधित प्रवृष्टियां यथा अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क की धनराशि, **COURSE TYPE, COURSE NAME, DURATION, AFFILIATED UNIVERSITY**, आदि को निम्नलिखित अनुसार ही अनिवार्य रूप से अंकित करें। किसी छात्र/छात्रा का **COURSE TYPE, COURSE NAME, DURATION, AFFILIATED UNIVERSITY, MAXIMUM MARKS, TOTAL OBTAINED MARKS** अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क की धनराशि आदि निम्नानुसार न होने के कारण छात्रवृत्ति रखने की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की स्वयं की होगी।

Sr.N.	Course Name	Type of Coure	Duration(In Year)	Affiliated Univ	Fees of Year-1	Fees of Year-2	Fees of Year-3	Fees of Year-4	Examination System	Examination Number Sys tem	Maximum Marks	Total Obtained Marks
					अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क							
					Fee 1 st Year	Fee 2 nd Year	Fee 3 rd Year	Fee 4 th Year				
1	Bachelor of Technology (Chemical Engineering)	Regular	4	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	130000	127000	127000	80500	सेमेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
2	Bachelor of Technology (Civil Engineering)	Regular	4	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	130000	127000	127000	80500	सेमेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
3	Bachelor of Technology (Computer Science & Engineering)	Regular	4	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	130000	127000	127000	80500	सेमेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
4	Bachelor of Technology (Electronics & Communication Engg.)	Regular	4	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	130000	127000	127000	80500	सेमेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
5	Bachelor of Technology (Electronics & Communication Engg. (IoT))	Regular (Self finance)	4	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	130000	127000	127000	80500	सेमेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
6	Bachelor of Technology (Electrical Engineering)	Regular	4	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	130000	127000	127000	80500	सेमेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
7	Bachelor of Technology (Mechanical Engineering)	Regular	4	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	130000	127000	127000	80500	सेमेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
8	Bachelor of Technology (Information Technology)	Regular (Self finance)	4	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	130000	127000	127000	80500	सेमेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
9	Bachelor of Pharmacy (B.Pharma)	Regular (Self finance)	4	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	130000	127000	127000	100500	सेमेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
10	Bachelor of Business Administration (BBA)	Regular (Self finance)	4	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	75000	72000	72000	65500	सेमेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759

Sr.N	Course Name	Type of Coure	Duration(In Year)	Affiliated Univ	Fees of Year-1	Fees of Year-2	Fees of Year-3	Fees of Year-4	Examination System	Examination Number Sys tem	Maximum Marks	Total Obtained Marks
					अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क							
					Fee 1 st Year	Fee 2 nd Year	Fee 3 rd Year	Fee 4 th Year				
11	Bachelor of Business Administration (BBA)	Regular (Self finance)	3	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	75000	72000	72000	-	समेस्तर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
12	M.Pharm. (Pharmaceutics)	Self finance	2	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	130000	127000	-	-	समेस्तर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
13	M.Pharm. (Pharmaceutical chemistry)	Self finance	2	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	130000	127000	-	-	समेस्तर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
14	M.Tech (Computer Integrated Manufacturing)	Regular	2	Madan Mohan Malviya University of Technology ,Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्तर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
15	M.Tech (Computer Science and Engineering)	Regular	2	Madan Mohan Malviya University of Technology ,Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्तर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
16	M.Tech (Nanoelectronics and VLSI)	Regular	2	Madan Mohan Malviya University of Technology ,Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्तर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
17	M.Tech (Energy Technology & Management)	Regular	2	Madan Mohan Malviya University of Technology ,Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्तर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
18	M.Tech (Environmental Engineering)	Regular	2	Madan Mohan Malviya University of Technology ,Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्तर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
19	M.Tech (Hill Area Dvelopment Engineering)	Regular	2	Madan Mohan Malviya University of Technology ,Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्तर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
20	M.Tech (Information Technology)	Regular	2	Madan Mohan Malviya University of Technology ,Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्तर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
21	M.Tech (Power Electronics & Drives)	Regular	2	Madan Mohan Malviya University of Technology ,Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्तर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
22	M.Tech (Seismic Design and Earthquake Engineering)	Regular	2	Madan Mohan Malviya University of Technology ,Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्तर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
23	M.Tech (Structural Engineering)	Regular	2	Madan Mohan Malviya University of Technology ,Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्तर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759

Sr.N.	Course Name	Type of Course	Duration(In Year)	Affiliated Univ	Fees of Year-1	Fees of Year-2	Fees of Year-3	Fees of Year-4	Examination System	Examination Number System	Maximum Marks	Total Obtained Marks
					अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क							
					Fee 1 st Year	Fee 2 nd Year	Fee 3 rd Year	Fee 4 th Year				
24	M.Tech(Wireless and Optical Communication)	Regular	2	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
25	M.Tech(Control and Instrumentation)	Regular	2	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
26	M.Tech(Chemical Engineerin)	Regular	2	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
27	M.Tech (Avionics) (specialization in : satellite Avionics, spece Robotics, UAV'S)	Regular	2	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
28	M.Tech (CAD/CAM Robotics)	Regular	2	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
29	M.Tech. Communication Engineering	Regular	2	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
30	Master in Computer Applications (MCA)	Regular	2	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	115000	112200	-	-	समेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
31	M.Sc. Physics (Specialization in Electronics)	Regular (Self finance)	2	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
32	M.Sc. Chemistry (Specialization in Organics)	Regular (Self finance)	2	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
33	M.Sc. Maths (Specialization in Computing)	Regular (Self finance)	2	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	37200	37200	-	-	समेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759
34	Master of Business Administration (MBA)	Regular (Self finance)	2	Madan Mohan Malviya University of Technology Gorakhpur	115000	112200	-	-	समेस्टर	पूर्णांक / प्राप्तांक	1000	For Example 7.59*100=759

(Fee Waiver छात्र/छात्रा अपने आवेदन पत्र में अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क के स्थान पर ₹0 1.00 ही भरेगे।)

नोट:- समस्त छात्र/छात्रा ध्यान दें, अधिकतम **CGPA 10** मानते हुए पूर्णांक तथा प्राप्तांक दोनों में 100 से गुणा कर दिया जाए। उदाहरण के रूप में 7.59 CGPA 759/1000 समझा जाए।

शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारण के आवश्यक बिन्दु

*छात्र/छात्रा का नाम, कोर्स एवं वर्ष:			
*छात्र/छात्रा के माता एवं पिता का नाम :			
*छात्र/छात्रा का मोबाईल नम्बर:			
गतवर्ष का परीक्षाफल	Put a tick mark (✓)	गतवर्ष का परीक्षा प्रणाली	Put a tick mark (✓)
	Pass		Yearly Semester
	Promote with marks		
	Promote without marks		
	Result yet not declared		
गतवर्ष का अंक प्रणाली	Put a tick mark (✓)	गतवर्ष का पूर्णांक	
	पूर्णांक	गतवर्ष का प्राप्तांक	
	CGPA		
	SGPA		
गतवर्ष के शिक्षण संस्थान का नाम		छात्र/छात्रा का Enrollment Number Roll Number	
*पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि		*पाठ्यक्रम में वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि	
*काउन्सिलिंग नम्बर		*प्रवेश परीक्षा वर्ष	
*प्रवेश परीक्षा रैंक			
*छात्रावासी/दिवा छात्र		*छात्र की उपस्थिति प्रतिशत में	

* प्रविष्टि अनिवार्य है।